<u>स्पीड पोस्ट द्वारा</u>

ई-मेल: umesh.jindal@mca.gov.in <u>टेलीफैक्स: 23382386</u>

संख्या 5/10/2008-आईजीसी/सीसी
भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन,
डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 21 मार्च, 2009

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय एवं विभाग; राज्य सरकारों के मुख्य सचिव; अखिल भारतीय सेवाओं एवं समूह 'क' केन्द्रीय सेवाओं के संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी।

विषय: प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण में सदस्यों के पदों को भरने के लिए आवेदनपत्र आमंत्रित करने हेतु।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण (कैट) में सदस्यों के दो पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने का प्रस्ताव है। एतद्द्वारा इन पदों को भरने हेतु आवेदनपत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

2. प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 प्रावधान करता है कि कैट का सदस्य योग्य, ईमानदार एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा तथा वह प्रतिस्पर्धा कानून एवं नीति सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, व्यवसाय, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखाशास्त्र, प्रबंधन, उद्योग, सार्वजनिक मामले अथवा प्रतिस्पर्धा विषयों जो केन्द्र सरकार की राय में इस आयोग के लिए उपयोगी हो सकते हैं, का विशेष ज्ञान रखता हो और उसे ऐसा व्यवसायिक अनुभव पच्चीस वर्षों से कम का न हो।

3. विनियामक के रूप में कैट की भूमिका एवं महत्व को ध्यान में रखते हुए यह अपेक्षा की जाती है कि अपेक्षित अनुभव सहित उच्च सत्यनिष्ठा, प्रसिद्धि एवं ख्याति वाले व्यक्तियों के आवेदनपत्र विचारार्थ अग्रेषित किए जाएं।

4. कैट के सदस्यों की सेवा के निबंधन एवं शर्तें प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें) नियम, 2009 के द्वारा विनियमित होंगी। सदस्य पाँच वर्षों की अवधि के लिए पद पर रहेंगे तथा 65

वर्षों की आयु के बाद पद पर नहीं रहेंगे। सदस्य अस्सी हजार रुपए (नीयत) प्रतिमाह वेतन एवं स्वीकार्य भत्तें प्राप्त करेंगे।

5. केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के पात्र अधिकारी जो इच्छुक हों और जिन्हें चयन होने की दशा में कार्यमुक्त किया जा सके, से संबंधित आवेदनपत्र निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ विभागाध्यक्ष (जहां लागू हो) द्वारा यथाविधि सत्यापित/प्रति हस्ताक्षरित कर अग्रेषित किए जाएं :

(i) अद्यतन एवं पूर्ण गोपनीय रिपोर्ट (सीआर) डोजियर मूल रूप में/उम्मीदवार के पिछले 5 वर्षों के वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) की अभिप्रमाणित प्रतियां।

(ii) सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र।

(iii) इस प्रमाणीकरण के साथ सतर्कता अनापत्ति कि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक या अपराधिक कार्यवाही न तो लंबित है और न ही इसका विचार किया जा रहा है।

(iv) मुख्य/गौण दण्डों की सूची, यदि कोई हो, जो उम्मीदवार पर पिछले 10 वर्षों के दौरान आरोपित किए गए हों/गैर-शास्ति प्रमाणपत्र।

6. बिना सीआर डोजियर/एसीआरज् के प्राप्त आवेदनपत्र अथवा जिसमें अपूर्ण सूचना हो अथवा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त उम्मीदवारों के आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. यथाविधि पूर्ण अनुलग्नक-I में दिए फार्मेट में आवेदनपत्र दिनांक 17 अप्रैल, 2009 तक श्री यू. के. जिन्दल, उप सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, 'ए' विंग, 5वां तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 के पास पहुँच जाना चाहिए।

भवदीय,

(यू. के. जिन्दल)
उप सचिव, भारत सरकार

संलग्नक: <u>यथोपरि</u>

अनुलग्नक-1

प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण में सदस्यों के पद हेतु आवेदन का प्रपत्र

नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो

1.	नाम (बड़े अक्षरों में)	
2.	पिता का नाम	
3.	जन्म तिथि	
4.	पता दूरभाष संख्या सहित (vi) स्थाई पता (vii) वर्तमान पता	
5.	राष्ट्रीयता (सिर्फ भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं)	
6	शैक्षणिक योग्यता (डिग्री/डिप्लोमा की स्वअभिप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें)	
7.	अनुभव – विशेषज्ञता के क्षेत्र का भी उल्लेख करें	
8.	वर्तमान पेशा/व्यवसाय/सेवा	
9.	वर्तमान एवं पूर्व नियोजन का ब्यौरा। धारित पद विशेषकर प्रथम धारित पद से वर्तमान धारित पद जिसमें पदधारण की अवधि (कार्यग्रहण तिथि एवं कार्यभार त्याग की तिथि), किए गए कार्यों की प्रकृति, भत्तों आदि को छोड़कर मूल वेतन का उल्लेख प्रत्येक धारित पद के लिए अलग से करें (यदि आवश्यक हो तो अलग से एक पृष्ठ संलग्न करें)।	
10.	वेतनमान/मासिक आय/उपलब्धि	
11.	पद भार ग्रहण के लिए अपेक्षित नोटिस की अवधि	
12.	सरकारी सेवा में नहीं रहने वाले प्रत्याशियों के	

	मामले में किसी जिम्मेदार पद पर स्थित दो निर्देशियों (संबंधी नहीं होने चाहिए) के नाम एवं पते (उनके द्वारा लिखित प्रमाणपत्र संलग्न करें)।	
13.	आवेदक के नाम पर कोई विशेष योग्यता या अनुभव या प्रकाशन।	
14.	विदेश में नियुक्ति/प्रशिक्षण, यदि कोई हो	
15.	विशेष उपलब्धियां, महत्वपूर्ण समितियों/कार्यशील ग्रुपों आदि में भागीदारी, यदि कोई हो	
16.	राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्ति यदि कोई हो	
17.	अपीलीय न्यायाधिकरण की अपेक्षाओं से संबद्ध नियुक्तियां/कार्य अनुभव	
18.	कोई और सूचना जो प्रासंगिक हो	

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना सही है और मेरे चयन होने की दशा में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति से पूर्व मैं वर्तमान रोजगार या व्यवसाय से त्यागपत्र दे दूंगा या सेवानिवृत्ति ले लूंगा।

स्थान:
दिनांक:

(हस्ताक्षर तिथि सहित)

नाम ____________________

पता ____________________

____

दूरभाष सं.: ________________

फैक्स सं.: ________________

ई-मेल: ________________

निर्देश :

नोट 1- आवेदक किसी भी सूचना के लिए, जिसमें संबद्ध कॉलम में उल्लेख करना संभव न हो, अतिरिक्त कागज संलग्न कर सकते हैं।

नोट 2- चयनित व्यक्ति को केन्द्र सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के द्वारा स्वस्थ घोषित किया जाना होगा, यदि उसे समकक्ष प्राधिकारी द्वारा पहले ही स्वस्थ घोषित नहीं किया गया हो।

सरकारी सेवकों के लिए अतिरिक्त अपेक्षाएं

1. चयनित व्यक्तियों को, यदि पहले से ही सरकारी सेवा में हों, नियुक्ति से पूर्व सेवानिवृत्ति लेनी होगी।

2. सरकारी सेवा में रहने वाले आवेदकों का आवेदन उचित माध्यम से अग्रेषित होना चाहिए। अग्रेषण अधिकारियों को यह अभिप्रमाणित करना होगा कि आवेदन में की गई प्रविष्टियां रेकार्ड से सत्यापित की गई हैं एवं सही पाई गई हैं, तथा अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक/सतर्कता कार्रवाई लंबित या विचारार्थ नहीं है साथ ही अधिकारी पर पिछले दस वर्षों के दौरान कोई मुख्य/गौण दण्ड आरोपित नहीं किया गया है। अग्रेषण अधिकारी को आवेदन का अग्रेषण निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ करना होगा :-

(i) अद्यतन एवं पूर्ण गोपनीय रिपोर्ट (सीआर) डोजियर मूल रूप में/उम्मीदवार के पिछले 5 वर्षों के वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) की अभिप्रमाणित प्रतियां।

(ii) सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र।

(iii) इस प्रमाणीकरण के साथ सतर्कता अनापत्ति कि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक या अपराधिक कार्यवाही न तो लंबित है और न ही इसका विचार किया जा रहा है।

(iv) मुख्य/गौण दण्डों की सूची, यदि कोई हो, जो उम्मीदवार पर पिछले 10 वर्षों के दौरान आरोपित किए गए हों/गैर-शास्ति प्रमाणपत्र।

3. बिना सीआर डोजियर/एसीआर, या अधूरी सूचना वाले या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

*****